EUROPOS SĄJUNGA

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų

PMIF
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

आश्रय का अनुरोध करने वालों के लिए जानकारी

आपने लिथुआनिया में आश्रय लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि आप मानते हैं कि आपके अपने देश में लौटने पर आप उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा का शिकार हो सकते हैं। आवेदन जमा करते ही आपको आश्रय खोजने वाला माना जाएगा। इससे आपको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन लिथुआनिया गणराज्य के संविधान, कानून और अन्य कानूनी अधिनयम की आवश्यकताओं के प्रति आपके दायित्वों से आपको मुक्त नहीं किया जाएगा। **इस पुस्तिका में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है, इसलिए कृपया इसे अच्छी तरह से पढ़ें।**

आवेदन की जांच की ज़िम्मेदारी

चूंकि आपने लिथुआनिया में शरण के लिए आवेदन पेश किया है, इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि आपके आवेदन की जांच यहीं की जाएगी। यदि आपके परिवार के सदस्य यूरोपीय संघ के किसी अन्य देश में रहते हैं, अगर आप यूरोपीय संघ के किसी अन्य देश से लिथुआनिया आए हैं या वतर्मान में या पहले कभी उस देश का वीज़ा या उस देश का निवास परमिट आपके पास था, तो यह देश आपके आवेदन की जांच के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। ऐसे मामले में, आपके आवेदन की जांच नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है और आपको ज़िम्मेदार देश में भेज दिया जा सकता है जो आपके आवेदन की जांच करेगा। अगर यह निर्णय लिया जाता है कि लिथुआनिया आपके द्वारा आश्रय लेने के आवेदन पर निर्णय लेगा, तो इसका मतलब है कि आप लिथुआनिया में रह सकते हैं और आपके आवेदन की जांच यहीं की जाएगी। फिर आपके आवेदन का आंकलन तुरंत शुरू हो जाएगा।

आपके आश्रय आवेदन के लिए ज़िम्मेदार देश के चयन के विषय में विस्तृत जानकारी आपको एक और विशेष पुस्तिका में प्रदान की गई है:

मेरे आश्रय मांगने के पीछे कारण की व्याख्या मैं कब और कैसे करूंगा?

आवेदन जमा करने के ठीक बाद, जिस संस्थान में आपने अपना आवेदन जमा किया है, उसके अधिकारी आपके लिए प्रारंभिक साक्षात्कार/इनिशियल इंटरव्यू आयोजित करेंगे, उसके लिए

आपके पास मौजूद दस्तावेज़, अपनी तस्वीर और अपने फिंगरप्रिंट ले लें। इस प्रारंभिक साक्षात्कार/इनिशियल इंटरव्यू का लक्ष्य है आपके और आपके साथ आए परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करना, लिथुआनिया गणराज्य तक पहुंचने का मार्ग, आपके आवेदन की जांच करने के लिए ज़िम्मेदार यूरोपीय देश के चयन से संबंधित डेटा, साथ ही आपके द्वारा आवेदन पेश करने के पीछे कारणों और अन्य देशों में आपकी स्थिति का पता लगाना।
आश्रय आवेदन पर निर्णय लेने से पहले प्रवासन विभाग के कर्मचारी आपके साथ **मौलिक साक्षात्कार/सब्स्टैन्टिव इंटरव्यू** के लिए मिलेंगे, यह साक्षात्कार आपको अपने उद्देश्यों के विषय में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने का मौका देगा, आप स्पष्ट करेंगे कि आपने आश्रय के लिए आवेदन क्यों किया है, साथ ही आपकी कहानी को सच साबित करने वाले सभी दस्तावेजों को आप पेश कर सकते हैं जो आपने पहले जमा नहीं किए हैं। पूछताछ करने वाला माइग्रेशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी इस साक्षात्कार द्वारा महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी प्राप्त करेगा जिसके माध्यम से वह यह पता लगा पाएगा कि क्या आप लिथुआनिया गणराज्य के कानूनों में स्थापित आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं साथ ही आश्रय आवेदन पर निर्णय लेने के लिए वह दूसरे अलग जानकारी भी इकट्ठा करेगा। यदि आवश्यक हो, तो माइग्रेशन विभाग एक और साक्षात्कार/इंटरव्यू आयोजित करेगा।
यदि आवश्यक हो, तो सभी साक्षात्कारों के दौरान आपको एक मुफ़्त अनुवादक/इंटरप्रेटर प्रदान किया जाएगा।

मेरे आवेदन की जांच कौन करेगा और इसे कैसे किया जाएगा?

लिथुआनिया गणराज्य के कानूनों के अनुसार, आश्रय आवेदन पर निर्णय लेने से पहले, एक विस्तृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष आंकलन किया जाना चाहिए। आश्रय के लिए आवेदन का आंकलन एक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका विस्तृत विवरण कानूनों में प्रदान किया गया है। आपके आवेदन की जांच की जाएगी और प्रवासन विभाग इस विषय में निर्णय लेगा। प्रवासन विभाग आपके द्वारा जमा की गई जानकारी की जांच करेगा और आपने जिन परिस्थितियों के आधार पर आवेदन किया है उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करेगा। सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रवासन विभाग यह आंकलन करेगा कि क्या आप लिथुआनिया गणराज्य के कानूनों में परिभाषित आश्रय देने से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। आप प्रवासन विभाग द्वारा आपके संबंध में लिए गए सभी निर्णयों को प्राप्त करेंगे।

प्रवासन विभाग द्वारा निर्णय लिए जाने तक मैं कहां रह सकता हूं?

आपके आवेदन की जांच के दौरान, आपको लिथुआनिया में रहने का अधिकार है। अगर आपने सीमा के या पारगमन क्षेत्र/ट्रांज़िट ज़ोन के कंट्रोल पॉइंट पर अपना आवेदन जमा किया है, तो कुछ मामलों में, जिस संस्थान में आपने आवेदन जमा किया है उसके प्रवासन विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए आपको कहा जा सकता है। नहीं तो, अगर आप चाहें, आप लिथुआनिया के क्षेत्र में अपने पसंद के स्थान पर अपना खर्च खुद उठाकर कर रह सकते हैं। यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं, तो आपको तुरंत प्रवासन विभाग को लिखित रूप में सूचित करना होगा। अगर आप स्वतंत्र रूप से लिथुआनिया में रहने के खर्चों को खुद उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो

प्रवासन विभाग आपको आश्रय का अनुरोध करने वालों के लिए बनाए गए आवास केंद्र में रहने की जगह देगा, जहां आप न केवल रह सकेंगे, बल्कि आपको भोजन मिलेगा, छोटे खर्चों के लिए पैसे (भत्ता) मिलेंगे, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और सामाजिक सेवाएं भी मिलेंगी। यदि यह स्थापित किया गया है कि कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों या कारणों के लिए आप कमजोर हैं या विशेष आवश्यकताएं हैं, तो आपको उन आवश्यकताओं को पूरा करने की रिसेप्शन शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा।

क्या मेरा वकील मेरी साक्षात्कार/इंटरव्यू में भाग लेगा?

अगर आप चाहें, तो प्रवासन विभाग या लिथुआनिया के अन्य राज्य संस्थानों के कर्मचारियों के साथ बैठकों में अपने हितों को पेश करने के लिए आप एक वकील को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि अपने साक्षात्कार/इंटरव्यू में एक वकील को आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन आप कानूनी सहायता के खर्च को उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो साक्षात्कार आयोजित करने वाले संस्थान को इस बात की सूचना दें। ऐसे मामले में, आपको एक वकील की सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। आप आश्रय का अनुरोध करने वालों की मदद करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से मुफ्त कानूनी सहायता का भी अनुरोध कर सकते हैं, उदाहरण के लिए लिथुआनिया रेड क्रॉस सोसायटी, जिसे संपर्क करने की जानकारी इस पुस्तिका में उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि साक्षात्कार/इंटरव्यू और बैठकों में किसी वकील के होने के बावजूद आपको खुद इन साक्षात्कार/इंटरव्यू और बैठकों में उपस्थित होना पड़ेगा और सभी आवश्यक जानकारी भी जमा करनी होगी।

क्या मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि मेरे पास कितना पैसा है?

हां, आश्रय के लिए आवेदन जमा करने पर आपको प्रवासन विभाग को बताना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है और साथ ही विभाग को अपनी पूरी आय का विवरण आय प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर लिखित रूप में देना चाहिए (प्रवासन विभाग द्वारा आश्रय मांगने वाले को मिलने वाले पैसों (भत्ता) को छोड़कर)। अगर यह स्थापित किया जाता है कि राज्य द्वारा आपको दी गई मुफ्त सेवाओं (आवास और कानूनी सहायता सहित) का खर्चा उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो उन खर्चों को आपको उठाना होगा।

निर्णय लेने में कितना समय लगता है?

आम तौर पर, आश्रय के लिए आवेदन का आंकलन किया जाता है और आवेदन जमा करने के दिन से 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर प्रवासन विभाग को आपके आवेदन का सही आंकलन करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो आपको तुरंत इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

प्रवासन विभाग के साथ सहयोग करें

प्रवासन विभाग द्वारा आंकलन की गुणवत्ता और सही निर्णय लेना न केवल विभाग के कर्मचारियों की पेशेवर योग्यता पर निर्भर करता है, बल्कि आपके द्वारा अपने आवेदन के प्रति सबूत पेश करने के प्रयासों पर भी निर्भर करता है। आपको यह भूलना नहीं है कि आपने हमसे मदद मांगी है; इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप साफ़ मन से काम करेंगे, धीरज रखेंगे और

लिथुआनिया के कानूनों का सम्मान करेंगे। आपको अपने आवेदन की जांच के दौरान प्रवासन विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए और तय किए हुए समय पर बैठकों में उपस्थिति होना चाहिए, आप जिस वजहों के कारण आश्रय मांग रहे हैं उनका विवरण इमानदारी से दें और जितनी जल्दी हो सके वे सभी दस्तावेज जमा करें, जो आपकी वजहों को सच साबित करते हों। अगर आप कोई दस्तावेज़ जमा नहीं कर सकते हैं, तो भी प्रवासन विभाग आपकी कहानी पर विचार करेगा और अगर आपकी कहानी विस्तृत, सुसंगत (तथ्य एक दूसरे के विरोधी न हो), स्पष्ट और विश्वास करने योग्य है तो भी विभाग आपको आश्रय देने का फैसला ले सकता है। अगर आप अपने आवेदन की जांच के दौरान प्रवासन विभाग का सहयोग नहीं करते हैं, साक्षात्कारों/इंटरव्यू में नहीं आते हैं या साक्षात्कारों/इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी या उचित दस्तावेजों को पेश नहीं करते हैं, नकली दस्तावेज़ या गुमराह करने वाली, झूठी सूचना प्रदान करते हैं या किसी भी अन्य तरीके का इस्तेमाल कर अपने मामले के उचित आंकलन में रुकावट पैदा करते हैं, तो प्रवासन विभाग को आपकी विश्वसनीयता पर उचित संदेह हो सकता है और इस वजह से वह आपको आश्रय देने से इनकार कर सकता है।

अतिरिक्त जांच

अगर प्रवासन विभाग को आपकी आयु या आपके साथ आए हुए या आपके साथ लिथुआनिया में रह रहे व्यक्तियों के साथ आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में उचित संदेह होता है, तो आपको आयु निर्धारण जांच या डीएनए परीक्षण लेने के लिए कहा जा सकता है। ये जांच केवल आपकी सहमति मिलने पर ही की जाएंगी, हालांकि आपकी असहमति से आपकी कहानी के आंकलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अगर पहले आपके ऊपर हुए हिंसा के कारण आप लिथुआनिया में आश्रय के लिए आवेदन करते हैं, तो प्रवासन विभाग आपको चिकित्सा जांच लेने के लिए कह सकता है, जिसे आपकी सहमति मिलने पर ही किया जाएगा। यदि प्रवासन विभाग आपको चिकित्सा जांच लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप मानते हैं कि इस तरह की जांच के परिणाम से आपकी कहानी की सच्चाई को साबित करने का सबूत मिल सकता है, तो आप चिकित्सा जांच का खर्च उठाकर और प्रवासान विभाग को अपने परिणाम जमा कर इस ओर पहल कर सकते हैं ।

मेरे द्वारा आवेदन में प्रदान की गई जानकारी कौन-कौन प्राप्त कर सकता है?

भले ही, आश्रय के लिए आवेदन पर निर्णय प्रवासन विभाग द्वारा लिया जाता है, लिथुआनिया के अन्य राज्य संस्थान भी आश्रय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आवश्यकता होने पर आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि, यह जानकारी आम जनता या आपके देश को नहीं पहुंचाई जाएगी। प्रवासन विभाग या लिथुआनिया के अन्य राज्य संस्थान या इस प्रक्रिया के दौरान आपको मदद करने वाले वकील या अनुवादक आपके द्वारा लिथुआनिया में आश्रय लेने के आवेदन और उसके कारणों का खुलासा नहीं करेंगे। उल्लिखित सभी व्यक्ति और संस्थान आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के प्रति नैतिक रूप से ज़िम्मेदार हैं और ऐसी जानकारी का खुलासा होने पर इन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

क्या मैं अपने आवेदन की जांच के दौरान स्कूल जाना या काम करना जारी रख सकता हूं?

आश्रय के लिए आवेदन की जांच के दौरान आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल आपके द्वारा आवेदन जमा किया जाना, काम करने के अधिकार को शामिल नहीं करता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप स्वयं नाबालिग हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि आश्रय का अनुरोध करने वाले नाबालिगों को स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में जाने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए, कृपया आश्रय का अनुरोध करने वालों की मदद करने वाले आवास केंद्र के सामाजिक कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क करें।

आपके आवेदन के संबंध में प्रवासन विभाग से निर्णय आने तक प्रतीक्षा करें

अगर आश्रय के लिए आपके आवेदन की जांच के दौरान आप लिथुआनिया छोड़ देते हैं या किसी अन्य कारण से प्रवासन विभाग आपसे संपर्क करने में सक्षम नहीं है, तो आपके आवेदन की जांच रोक दी जाएगी। इसका मतलब है कि प्रवासन विभाग आपके आवेदन की जांच पूरी नहीं कर सकेगा और इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। बाद में, आपके आवेदन की जांच का अंत भी कर दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में अगर आप जांच फिर से शुरू करने का अनुरोध करते हैं तो फिर भी इसे शुरू नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई नया आवेदन जमा करते हैं, तो उसे अगला आवेदन माना जाएगा और उसकी जांच अधिक कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको आश्रय की आवश्यकता है, तो कृपया प्रवासन विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा करें। अगर आप प्रवासन विभाग के निर्णय का इंतजार नहीं करने का फैसला लेते हुए यूरोपीय संघ के किसी और देश में आश्रय के लिए आवेदन करते हैं, तो वह देश लिथुआनिया में आपके आवेदन की जांच पूरी करने के लिए आपको यहां वापस भेज सकता है।

अगर आप लिथुआनिया में आश्रय नहीं लेना चाहते हैं, तो कृपया इसकी सूचना प्रवासन विभाग को लिखित में दें। ऐसी स्थिति में, आपके आवेदन की और जांच नहीं की जाएगी और आपको अपने देश में वापस जाना होगा।

अगर प्रवासन विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं?

अगर आप प्रवासन विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप इस निर्णय को प्राप्त करने की तारिख से 14 दिनों के अंदर विल्नीयस रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप समय सीमा के अंदर अपील दर्ज कराएं। अपील प्रक्रियाओं के दौरान, आपको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, और आवश्यक होने पर अनुवादक/इंटरप्रेटर सेवाएं भी दी जाएंगी। कानूनी सहायता का मतलब है कि आपको वकील रखने का अधिकार होगा, जो आपके दस्तावेज़ तैयार करेगा और अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करेगा। अगर आप प्रवासन विभाग के निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन कानूनी सहायता से जुड़े खर्च का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया प्रवासन विभाग से संपर्क करें।

क्या मैं इसी प्रकार से मुझे हिरासत में लेने के खिलाफ अपील कर सकता हूं?

प्रवासन विभाग हिरासत पर निर्णय नहीं लेता है और हिरासत के मुद्दों का निपटान नहीं करता है। यदि आपको हिरासत में लिया गया है, तो इसका मतलब है कि यह निर्णय अदालत द्वारा लिया गया था और केवल अदालत ही इसे बदलने में सक्षम है। अगर अदालत द्वारा आपको हिरासत में लिए जाने के निर्णय से आप सहमत नहीं हैं, तो आपको लिथुआनिया के सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में ऐसे निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है। अगर आपको हिरासत में लेने के पीछे उचित कारण थे, लेकिन आपको लगता है कि वे कारण अब मौजूद नहीं हैं, तो आपके हिरासत के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए आपको अपने निवास स्थान पर स्थित रीजनल कोर्ट में अपील करने अधिकार है। प्रक्रियाओं के दौरान, आपको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, और आवश्यक होने पर अनुवादन सेवाएं भी दी जाएंगी। अगर आप अपने हिरासत के निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन कानूनी सहायता से जुड़े खर्च का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया प्रवासन विभाग से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण संपर्क सूचना:

प्रवासन विभाग
एल सापीएगोस स्त्र. 1, 10312 विल्नियस,
टेलीफ़ोन: +370 5 271 7112
ई-मेल: *md.rastine@vrm.lt*
http://www.migracija.lt

फोरेनर्स रजिस्ट्रेशन सेंटर
विल्निओस स्त्र. 100, 18177 पाब्रादे, स्वेनसिओनी डिस्ट्रिक्ट
टेलीफ़ोन: +370 3 87 53401
ई-मेल: *urc.sekretore@vsat.vrm.lt*

रिफ्यूजी रिसेप्शन सेंटर
कारालीआओस मिनडोगो स्त्र. 18, 55283 रुक्ला, जोनावा डिस्ट्रिक्ट
टेलीफ़ोन: +370 3 497 3377, +370 698 48776
ई-मेल: *centras@rppc.lt*
http://www.rppc.lt

लिथुआनिया में यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ (यूएनएचसीआर) कार्यालय
ए.जाक्सतो स्त्र. 12, 01105 विल्नियस,
टेलीफ़ोन: +370 5 210 7416
ई-मेल: *kules@unhcr.org*
http://www.unhcr.se/lt/home.html
यूएनएचसीआर लिथुआनिया में आश्रय का अनुरोध करने वालों और शरणार्थियों के लिए आश्रय से संबंधित जानकारी, सलाह और उपलब्ध सहायता से संबंधित सूचना और सलाह प्रदान करता है।

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ए.जाक्सतो स्त्र. 12, 01105 विल्नियस,
टेलीफ़ोन: +370 5 261 0115
ई-मेल: *iomvilnius@iom.lt*
http://www.iom.lt
आईओएम स्वैच्छिक वापसी में सहायता प्रदान करता है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है और सुरक्षित घर वापसी की गारंटी देता है। आईओएम उन व्यक्तियों को पुनर्संरचना सहायता भी प्रदान करता है जिन्हें अपने मूल के देशों में बसने में मदद की ज़रूरत है।.

लिथुएनियन रेड क्रॉस सोसाइटी
ए.ज्युज़ापाविसीओस स्त्र. 10A, 09316 विल्नियस,
टेलीफ़ोन: +370 5 212 7322, +370 686 30 050
ई-मेल: *info@redcross.lt*
http://www.redcross.lt
लिथुएनियन रेड क्रॉस सोसायटी कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करता है और साथ ही परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को ढूंढने में मदद भी प्रदान करता है।

कारितास ऑफ़ विल्नियस आर्चदिओसेस
ओडमिनिऊ स्त्र. 12, 01122 विल्नियस,
टेलीफ़ोन: +370 5 261 1014
ई-मेल: *info@vilnius.caritas.lt*
http://www.vilnius.caritas.lt

आश्रय का अनुरोध करने वालों के अधिकार और कर्तव्य कहां उल्लिखित हैं?

इस पुस्तिका में उल्लिखित आश्रय का अनुरोध करने वालों के मुख्य अधिकार और कर्तव्य, लीगल स्टेटस ऑफ़ एलियंस ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ लिथुआनिया के कानून के अनुच्छेद 71 के अनुच्छेद 1-3 में स्थापित किए गए हैं:

अनुच्छेद 71. लिथुआनिया गणराज्य में आश्रय का अनुरोध करने वाले के अधिकार और कर्तव्य

1. लिथुआनिया गणराज्य में आश्रय का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के अधिकार इस प्रकार हैं:

1) लिथुआनिया गणराज्य के संस्थानों द्वारा निर्धारित आवास स्थानों, डिटेंशन क्षेत्रों/सुधार गृहों, सीमाओं और पारगमन क्षेत्र/ट्रांज़िट ज़ोन के कंट्रोल पॉइंट में रहने के दौरान ज़रूरत का सामान जैसे खाना, कपड़े आदि के उपयोग करने का अधिकार;

2) अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में मुफ्त में जानकारी प्राप्त करने, आश्रय के लिए आवेदन की जांच के दौरान नियम न पालन करने के परिणामों को जानने, और आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन की जांच से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार;

3) आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन की जांच से संबंधित नोटरीकृत दस्तावेजों का प्रबंधन और औपचारिकता;

4) राज्य द्वारा गारंटीकृत कानूनी सहायता का उपयोग करना, मिनिस्टर ऑफ़ द इंटीरियर द्वारा स्थापित आदेश का पालन करना;

5) आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन से जुड़े कार्यों को करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार;

6) मुफ्त अनुवादक/इंटरप्रेटर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार;

7) फोरेनर्स रजिस्ट्रेशन सेंटर या रिफ्यूजी रिसेप्शन सेंटर में मुफ्त आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता और सामाजिक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार;

8) मिनिस्टर ऑफ़ सोशल सिक्यूरिटी एंड लेबर और द मिनिस्टर ऑफ़ द इंटीरियर द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार मासिक मौद्रिक भत्ते के रूप में वित्त पोषित आय के 10 प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार;

9) आश्रय का अनुरोध करने वालों को विशेष कानूनी सहायता या परामर्श प्रदान करने वाले यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ बोर्ड और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करने का अधिकार और गोपनीय रूप से मिलने का अधिकार प्रदान करने वाले शर्तों के तहत प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अधिकार (सीमा या पारगमन क्षेत्र/ट्रांज़िट ज़ोन के कंट्रोल पॉइंट सहित);

10) वल्नरेबल पर्सन्स (ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों से अधिक मदद की आवश्यकता हो) का दर्जा प्राप्त करने के बाद अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करने के सामान जैसे खाना, कपड़े आदि के उपयोग करने का अधिकार;

11) लिथुआनिया गणराज्य, कानून और अन्य कानूनी अधिनियम के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार उसे सुनिश्चित रूप से प्रदान किए गए अन्य ज़रूरत के सामन और अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार।

2. आश्रय का अनुरोध करने वाले नाबालिगों को मिनिस्टर ऑफ़ एजुकेशन एंड साइंस के आदेशानुसार स्थापित सामान्य

शिक्षा या व्यावसायिक कार्यक्रम/वोकेशनल प्रोग्राम के स्कूल में पढ़ने का अधिकार। यह अधिकार तुरंत सुनिश्चित किया जाएगा और इसे आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन जमा करने की तारीख से 3 महीने के अंदर किया जाएगा। आश्रय का अनुरोध करने वाला व्यक्ति जिसने नाबालिग के रूप में पढ़ना शुरू किया था, उसे सामान्य शिक्षा या व्यावसायिक कार्यक्रम/वोकेशनल प्रोग्राम को पूरा करने का अधिकार है, यह अधिकार उसके पास तब भी रहेगा अगर पढ़ते-पढ़ते वह वयस्क हो जाता है।

3. आश्रय का अनुरोध करने वाले के कर्तव्य:

1) लिथुआनिया गणराज्य के संविधान, कानून और अन्य कानूनी अधिनियमों का पालन करना;
2) आश्रय का अनुरोध करने वाले के लिए प्रवासन विभाग और अदालत के फैसलों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करना;
3) स्वास्थ्य जांच के लिए अनुमति देना;
4) आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन के पीछे उद्देश्यों, आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदक के व्यक्तित्व साथ ही उसके लिथुआनिया गणराज्य में आने और यहां रहने की परिस्थितियों का उचित रूप से वर्णन करने वाले सभी उपलब्ध दस्तावेज़ों को जमा करना और आश्रय आवेदन की जांच के दौरान सक्षम संस्थानों के प्रशासन कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सहयोग करना;
5) आश्रय का अनुरोध करने वाले आवेदन प्राप्त किए हुए राज्य की संस्था या संगठन को पूछताछ के दौरान लिथुआनिया गणराज्य में स्थित उन संसाधनों और संपत्तियों की लिखित सूची पेश करना जिनके वे मालिक हैं, साथ ही स्वतंत्र प्रारूप में प्रवासन विभाग को उन पैसों का ब्यौरा देना जिन्हें लिथुआनिया गणराज्य में रहने के अधिकार मिलने के बाद प्राप्त किया है और यह घोषणा पैसे मिलने के तीन दिनों के अंदर करना;
6) अगर प्रवासन विभाग आवेदक द्वारा चुने गए रहने के स्थान पर रहने की अनुमति दे देता है, तो आवासीय स्थान के बदलाव के बारे में तुरंत प्रवासन विभाग को सूचित करना।

इस पुस्तिका में उल्लिखित अन्य अधिकार और कर्तव्य उसी कानून के धारा 22[1] के अनुच्छेद 1, धारा 67 के अनुच्छेद 3, धारा 71 के अनुच्छेद 5, धारा 82[1] के अनुच्छेद 3, धारा 117 के अनुच्छेद 1, धारा 118 के अनुच्छेद 1 और धारा 136 में स्थापित किए गए हैं।

इस पुस्तिका में आश्रय देने की प्रक्रिया, आश्रय का अनुरोध करने वालों के मुख्य अधिकार और कर्तव्य और इन कर्तव्यों का पालन न करने के संभावित परिणामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी शामिल है। इस पुस्तिका का एकमात्र उद्देश्य सूचना प्रदान करना है और यह स्वयं को किसी भी अधिकार या कानूनी दायित्वों में शामिल नहीं करता है। अगर आपको इस पुस्तिका में दी गई जानकारी के गहरे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या आप अपने आवेदन के आंकलन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया प्रवासन विभाग से संपर्क करें।